संख्या- 6/2018/39 आईडब्ल्यूएमपी /85-परती-2018-05 (आईडब्ल्यूएमपी)-2016

प्रेषक,

टी वेंकटेश,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी,
अष्टम तल, एल्डिको कापरेट टावर,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

परती भूमि विकास विभाग **लखनऊ:: दिनांक:: 21 मार्च, 2018**

विषयः- समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) परिवर्तित नाम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना(पी.एम.के.एस.वाई.)-अदर इन्टरवेन्शन के अन्तर्गत सामान्य मद में वित्तीय वर्ष 2017-18 मे परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु रू0-767.34 लाख (रूपये सात करोड़ सरसठ लाख चौंतीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप सचिव, कृषि, सहकारिता, किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या-19-6/2015-आरएफएस-दिनांक 10 सितम्बर, 2015 व अनु सचिव, कृषि, सहकारिता, किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या-19-37/2015-आरएफएस- दिनांक 16 नवम्बर, 2017 तथा आपके पत्र संख्या-799/एसएलडीसी/258/2017-18, दिनांक 27 फरवरी, 2018, के सन्दर्भ मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-12 के लेखाशीर्ष "2501-ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम-02-सूखा ग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम-307-मृदा तथा जल संरक्षण-02 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना(के.60/रा.40 के+रा)-0201-सूखा ग्रस्त क्षेत्रों मे जल संरक्षण के कार्य-42-अन्य व्यय की मद मे राज्यांश मात्र की धनराशि **रू0-767.34 लाख (रूपये सात करोड़ सरसठ लाख चौंतीस हजार मात्र)** श्री राज्यपाल महोदय आपके निर्वतन पर रखे जाने की निम्न शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-.

(1) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्टेट लेवल नोडल एजेन्सी, गोमतीनगर, लखनऊ द्वारा धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जाएगा। योजना के समाप्त होने पर अवशेष धनराशि के सम्बन्ध में भारत सरकार/राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(2) विभाग योजना के कार्यान्वयन हेतु सभी स्तरों पर अपेक्षित कार्यवाही को स्पष्ट कर देंगे।

(3) उक्त धनराशि का उपयोग योजना की अनुमोदित कार्य योजना के अनुरूप भारत सरकार के दिशा निर्देशों/गाईड लाइन एवं संगत नियमों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा तथा धनराशि का व्यय उन्हीं मदों पर किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है।

(4) योजनान्तर्गत व्यय की जाने वाली उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर भारत सरकार/राज्य सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा तथा योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों की मासिक आधार पर प्रगति रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

2- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-12 के लेखाशीर्ष "2501-ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम-02-सूखा ग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम-307-मृदा तथा जल संरक्षण-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

02 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना((के.60/रा.40 के+रा)-0201-सूखा ग्रस्त क्षेत्रों मे जल संरक्षण के कार्य-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-1-131/दस-2018 दिनांक-17-03-2018 द्वारा प्राप्त सहमति से जारी किए जा रहे है।

भवदीय,

टी.वेंकटेश
प्रमुख सचिव।

संख्या-6 /2018/39 आईडब्ल्यूएमपी /85-परती-2018-05 (आईडब्ल्यूएमपी)-2016-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- अनु सचिव, कृषि, सहकारिता, किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या-19-37/2015-आरएफएस- दिनांक 16 नवम्बर, 2017 के सन्दर्भ में।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय आडिट प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- आहरण एवं वितरण अधिकारी, एस0एल0एन0ए0, विभूति खण्ड गोमतीनगर, लखनऊ।
5- नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-1/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-1/समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ), उ0प्र0 शासन ।
6- अध्यक्ष एवं प्रशासक, शारदा सहायक कमाण्ड परियोजना, 23, सी, गोखले मार्ग, लखनऊ।
7- अध्यक्ष एवं प्रशासक, रामगंगा कमाण्ड परियोजना, 177-एच-2/193 पाण्डुनगर, कानपुर।
8- मुख्य वित्तीय सलाहकार, शारदा सहायक समादेश परियोजना, लखनऊ/रामगंगा कमाण्ड परियोजना, कानपुर।
9- प्रशासनिक अधिकारी, स्टेट लेवल डाटा सेन्टर आईडब्लूएमपी, अष्टम तल, एल्डिको, कोर्पोरेट टावर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
10- संयुक्त निदेशक, समादेश बन्धु, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

सी0पी0 त्रिपाठी
सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।